

पायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 22/2010



- 1 पालाराम पुत्र स्व. रूड़ाराम
- 2 मोतीलाल पुत्र स्व. रूड़ाराम
- 3 बिहारीलाल पुत्र रूड़ाराम
- 4 श्रीमती नोरंगी पुत्री स्व. रूड़ाराम समस्त जाति जाटान निवासीगण सालमसिंह की ढाणी तहसील व जिला सीकर।

अपीलांत

बनाम


- 1 सुभाषचन्द्र पुत्र हरिसिंह जाति ढाका (जाट) निवासी चौधरी चरणसिंह कॉलोनी सीकर तहसील व जिला सीकर।
- 2 सुरेश कुमार पुत्र रामप्रताप सिंह जाति जाट निवासी दिसनाऊ तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर

रेस्पोंडेन्ट/वादीगण/प्रार्थीगण

- 3 नाथूलाल पुत्र स्व. बालिया
 - 4 लालाराम उर्फ लालचन्द पुत्र स्व. बालिया
 - 5 श्रीमती बरजी देवी पत्नी स्व. बालिया
- समस्त जाति जाटान निवासीगण सालमसिंह की ढाणी तहसील व जिला सीकर।

- 6 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा-सीकर जरिये मैनेजर

रेस्पोंडेन्ट्स/प्रतिवादीगण/प्रत्यार्थीगण


भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर सीकर दिनांकित 19.04.2010 जिसके अनुसार वादीगण के अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन अनुवानी सुभाष वगैरह बनाम नाथूलाल वगैरह संख्या 67/2004 में तादौराने दावा अपीलान्टस को वाद भूमि के रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया गया है।

अपील संख्या 23/2010

- 1 सुभाषचन्द्र पुत्र हरिसिंह जाति ढाका (जाट) निवासी चौधरी चरणसिंह कॉलोनी सीकर तहसील व जिला सीकर।
- 2 सुरेश कुमार पुत्र रामप्रताप सिंह जाति जाट निवासी दिसनाऊ तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर

अपीलान्टस

बनाम



- 1 नाथूलाल पुत्र स्व. बालिया
 - 2 लालाराम उर्फ लालचन्द पुत्र स्व. बालिया
 - 3 श्रीमती वरजी देवी पत्नी स्व. बालिया
- समस्त जाति जाटान निवासीगण सालमसिंह की ढाणी तहसील व जिला सीकर।
- 4 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा-सीकर जरिये मैनेजर
 - 5 पालाराम पुत्र स्व. रुड़ाराम
 - 6 मोतीलाल पुत्र स्व. रुड़ाराम
 - 7 विहारीलाल पुत्र रुड़ाराम

भूधरबन्ध अधिकारी एण्ड
पदेन राजस्व अधिकारी
सीकर

8 श्रीमती नोरंगी पुत्री स्व. रूडाराम समस्त जाति जाटान निवासीगण सालमसिंह की ढाणी तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांकित 19.04.2010 न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर प्रार्थना पत्र संख्या 67/2004 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बउनवानी सुभाषचन्द्र बनाम नाथूलाल आदि पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र चौधरी आरएएस

उपस्थिति :

1. श्री बजरंग सिंह राजपूत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट



-निर्णय-

दिनांक:- 5.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 148/89(7/2023) में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2003 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों में विवादित भूमि व पक्षकार समान होने से दोनों

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अफसर अधि-
सीकर



का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में पृथक-पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण सुभाष एवं सुरेश ने धारा 212 एवं रिसिवरी का आवेदन प्रस्तुत कर भूमि खसरा नम्बर 102/91, 104 वाके ग्राम सालम सिंह ढाणी के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा व रिसिवरी का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने रिसिवरी का अनुतोष खारिज कर दिया एवं ताफैसला वाद विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया। इससे व्यथित होकर दो पृथक-पृथक अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट सुभाष वगैरह ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के संदर्भ में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। इसके उपरांत भी रेस्पोंडेन्ट ने विरासत का नामान्तकरण स्थगन के दौरान दर्ज करवा लिया एवं बैंक से भूमि रहन रखकर ऋण प्राप्त कर लिया। स्पष्ट है कि रेस्पोंडेन्ट विवादित भूमि को वेस्ट डेमेज एलिनेट कर रहे हैं। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना रिसिवरी का आवेदन खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। पक्षकारों के मध्य अधिकारों का निर्धारण मूलवाद में होना है। प्रार्थीगण जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र भूमि क्रय करने वाले क्रेता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने ताफैसला वाद उभयपक्ष को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है। प्रार्थीगण की रिसिवरी की अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन रिसिवरी विधिक प्रावधानों के विपरित होने से, पत्रावली पर विवादित भूमि के वेस्ट डेमेज एलिनेट होने का साक्ष्य नहीं होने से विचाराधीन निर्णय से विचारण न्यायालय ने आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार नहीं है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सागर

विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा भी नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थीगण के पक्ष में ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में विधिक त्रुटि की है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिसिवरी की अपील खारिज की जावे एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा की अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन रिसिवरी विधिक प्रावधानों के विपरित होने से, पत्रावली पर विवादित भूमि के वेस्ट डेमेज एलिनेट होने का साक्ष्य नहीं होने से विचाराधीन निर्णय से विचारण न्यायालय ने आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

जहां तक अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश का प्रश्न है पक्षकारों के मध्य अधिकारों का निर्धारण मूलवाद में होना है। प्रार्थीगण जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र भूमि कय करने वाले केता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने ताफैसला वाद उभयपक्ष को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं। अपील अपीलांत खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 5.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।



24
(बलदेवारसा धोसक)
पदेन राजस्व अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

23/10 सुभाषचन्द्र - नाथूलाल

दिनांक

आज्ञा पत्र

5/8/24

पत्रावली पेश । अपील अपीलांत.....
की जप्तती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।
प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद
तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

भू-प्रवन्ता अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर



पत्रावली पेश करने के लिए अपीलकर्ता को निर्देशित किया गया है।
निर्णय पत्रावली में शामिल किया गया है।
प्रकरण नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।